अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2009-2010

1.0 **लेखाकरण प्रथा**

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों और प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार है।

2.0 **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन**

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमयदारों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरैक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है. जबकि सभी फॉरैक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विशिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया ।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया ।

3.0 **निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर घ) डिबेंचर और बांड पत्र
ङ) अनुषंगी च) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2009-2010

1.0 **ACCOUNTING CONVENTIONS**

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2.0 **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying Weekly Average Rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation".

a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3.0 **INVESTMENTS**

3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities b) Other Approved Securities
c) Shares d) Debentures & Bonds
e) Subsidiaries f) Others.

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised

का परिशोधन सीधी लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाज़ार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए –

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आइ. एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत – लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गिकरण किया जाता है।

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.4 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition/carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value).

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है ।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।

4.0 **व्युत्पन्न**

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।

5.0 **अग्रिम**

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.

3.4 Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

4.0 **DERIVATIVES**

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.

5.0 **ADVANCES**

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms

के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें ''अन्य देयताओं और प्रावधान'' में शामिल किया गया है ।

6.0 **परिसर और अन्य अचल आस्तियां**

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

क) परिसर	
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित
ख) अन्य आस्तियाँ	
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस. जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रानिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है।

7.0 **सेवानिवृत्ति लाभ**

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0 **PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS**

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

a) PREMISES:	
i) Bank owned (freehold/leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10%
– where lease period is specified	amortised over the residual Period of lease.
b) OTHER ASSETS:	
i) Furniture	10%
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic equipments	40%
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7.0 **RETIREMENT BENEFITS**

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता हैं।

8.0 **राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9.0 **आय कर**

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.0 **देश जोखिम प्रबंधन**

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11.0 **सोने के सिक्के**

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

12.0 **निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

8.0 **REVENUE RECOGNITION**

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

9.0 **TAXES ON INCOME**

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10.0 **COUNTRY RISK MANAGEMENT**

The bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11.0 **GOLD COINS**

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

12.0 **NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income tax and Wealth tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.